

वकालतनामा पेश किया। गैरसायल द्वारा इस्तागासा में प्रस्तुत कार्यवाही को स्वीकार करते हुए मौखिक निवेदन किया कि गैरसायल वर्तमान में शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे। गैरसायल द्वारा थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में दर्ज प्रकरणों को स्वीकार किया गया है। अतः थानाधिकारी सुल्तानपुर द्वारा प्रस्तुत इस्तागासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।


पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी सुल्तानपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में गैरसायल के विरुद्ध 13 आर.पी.जी.ओ. की धारा में 02 प्रकरण दर्ज हुए हैं सभी प्रकरणों में गैरसायल को न्यायालय द्वारा जुर्माने से दण्डित किया गया है।

अतः इस्तागासा में वर्णित अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं दण्डित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिए परोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिए घातक होना कथन करते हुए गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तागासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ की धाराओं में दर्ज प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं दण्डित करने की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुए गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार मोहम्मद फिरोज पुत्र कल्लू भाई जाति मुसलमान निवासी हाडा मार्केट सुल्तानपुर थाना सुल्तानपुर जिला कोटा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत 05 दिन के लिए थाना सुल्तानपुर जिला कोटा की सीमा से जिला बारा के लिए निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियों की जानकारी थानाधिकारी, सीसवाली जिला बारा को प्रस्तुत करेगा। थानाधिकारी, सीसवाली जिला बारा गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे। गैरसायल की उक्त 05 दिवस की निष्कासन अवधि 20 दिन पश्चात अर्थात् दिनांक 05.12.2025 से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना सुल्तानपुर जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल मोहम्मद फिरोज पुत्र कल्लू भाई जाति मुसलमान निवासी हाडा मार्केट सुल्तानपुर थाना सुल्तानपुर जिला कोटा को दिनांक 5.12.2025 को पुलिस अभिरक्षा में थाना सुल्तानपुर जिला-कोटा (ग्रामीण) की सीमा से थाना सीसवाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। थानाधिकारी, थानाधिकारी, सीसवाली जिला बारा उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना देगे तथा निष्कासन अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी सुल्तानपुर जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षेत्र सुल्तानपुर जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 14/11/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा


(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कनिष्ठ
कोटा, जिला कोटा

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 03/2025 (गुण्डा एक्ट)
जी.सी.एम.एस नं.- 2025/11

उनवान

राज्य सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस स्टेशन सुल्तानपुर जिला कोटा
ग्रामीण (राज0)

बनाम

मोहम्मद फिरोज पुत्र कल्लू भाई जाति मुसलमान निवासी हाडा मार्केट सुल्तानपुर
थाना सुल्तानपुर जिला कोटा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1)

राजस्थान गुण्डा

नियंत्रण अधिनियम, 1975

निर्णय दिनांक : 14/11/25.....




थानाधिकारी पुलिस स्टेशन सुल्तानपुर जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जयें पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल मोहम्मद फिरोज पुत्र कल्लू भाई जाति मुसलमान निवासी हाडा मार्केट सुल्तानपुर थाना सुल्तानपुर जिला कोटा थाना क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षेत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते हैं। जिससे उसके क्षेत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं रहते हैं। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं। गैरसायल के विरुद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

| क्र. स. | प्रकरण संख्या | धारा | चार्जशीट न0 व दिनांक | न्यायालय निर्णय |
|---------|----------------|------------|----------------------|--|
| 1. | 151/27-07-2024 | 13 आरपीजीओ | 145/29-07-2024 | न्यायालय द्वारा 100 रू0 जुर्माना किया गया। |
| 2. | 163@23-08-2024 | 13 आरपीजीओ | 159/28-8-2024 | न्यायालय द्वारा 100 रू0 जुर्माना किया गया। |

अतः मोहम्मद फिरोज पुत्र कल्लू भाई जाति मुसलमान निवासी हाडा मार्केट सुल्तानपुर थाना सुल्तानपुर जिला कोटा के विरुद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई। गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुए नोटिस दिया गया। गैरसायल स्वयं उपस्थित हुआ। गैरसायल की ओर से फारूख हुसैन अभिभाषक द्वारा


आति. जिला कलक्टर
कोटा